संख्या-624/26-बी0ए0-2013-14(एस0सी0पी0)/2013

प्रेषक,

दीनानाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर-खीरी, रायबरेली, हरदोई

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग

लखनऊ : दिनांक 01 नवम्बर-2013

विषयः 250 से 499 आबादी वाली अनजुड़ी बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु अनुदान संख्या-83 एस0सी0पी0 के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत उपर्युक्त 06 जनपदों के 461 मार्गो, जिनकी लागत ₹ 40.00 लाख से कम है, के निर्माण हेतु संलग्न सूची के स्तम्भ-11 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार ₹ 99,02,94,000/-(₹ निन्यानवे करोड़ दो लाख चौरानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ-10 में अंकित विवरण के अनुसार ₹ 90,89,23,000/- (₹ नब्बे करोड़ नवासी लाख तेईस हजार मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि अर्थात (स्तम्भ-12) ₹ 45,44,61,500/- (₹ पैंतालिस करोड़ चौवालिस लाख इकसठ हजार पांच सौ मात्र) को सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपयोग हेतु एस0टी0सी0पी0/टी0एस0पी0 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- सम्बन्धित जिलाधिकारी संलग्न सूची के स्तम्भ-06 के अनुसार ₹ 8,13,71,000/-(₹ आठ करोड़ तेरह लाख इकहत्तर हजार मात्र) की व्यवस्था समस्त आदेशों के आलोक में मनरेगा के माध्यम से कराते हुए नियमानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अपने स्तर से निर्गत करते हुए परियोजनाओं को निर्धारित समयानुसार पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सभी जिलाधिकारी अपनी अध्यक्षता में तत्काल बैठक आहूत कर ले। मुख्य विकास अधिकारी तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ यथावश्यक अन्य अधिकारियों को आमंत्रित कर लिया जाय। ग्रामीण स्तर पर सड़कवार/परियोजनावार आगणन तथा कार्ययोजना लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना तथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के मानक एवं शर्ते तथा अनुमन्य कार्य और प्रक्रिया आदि का सूक्ष्म अध्ययन कर लिया जाय। तदोपरान्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तत्काल निर्गत करते हुए लोक निर्माण विभाग के जिलास्तरीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाय। इस कार्य का अनुश्रवण भी करते रहे। इसमें विलम्ब न हो।

3- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

6- प्रश्नगत धनराशि जिन कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

7- स्वीकृत किये जा रहे कार्यो हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत तो नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

8- लेबर सेस की 01 प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

9- मूल्य ह्रास निधि 1.50 प्रतिशत की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा की जायेगी।

10- प्रश्नगत कार्य कराये जाने के पूर्व संबंधित कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध) करा लिया जायेगा।

11- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी कार्य/प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिस कार्य/प्रयोजन के लिए उक्त धनराशि स्वीकृत की गयी है। इससे इतर व्यय/उपयोग/वित्तीय अनियमितता माना जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रश्न0विभाग एवं संबंधित जिलाधिकारी का होगा।

क्रमशः...

पृष्ठांक 3779

C.E.(CZ)
EE(m)/EE(P-3)/AO/G.F.

6.11.2013